उदयपुर की पेसेफिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शरद कोठारी समेत एमसीआई और डीसीआई के कर्मचारियों को सीबीआई ने किया नामजद!!!

विशेष रिपोर्ट-1

व्यापम घोटाले के बाद सीबीआई की मेडिकल माफिया पर बड़ी कार्यवाही!!!

पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,उमरडा,उदयपुर और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,भीलों का बेदला,उदयपुर से जुड़ा है मामला!!

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/kdgl/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 17 मार्च 2022

वर्ष 2016-17 मे पेसेफिक ग्रुप के दो कॉलेजो की 96 मेनेजमेंट कोटे की सीटो की बंदरबाँट मे हुए 100 करोड़ के घोटाले से जुड़े हुए है तार!!!

एमसीआई और डीसीआई के कर्मचारी,एमसीआई द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों और अन्य संवेदनशील जानकारियो को पहुंचाते थे पेसेफिक के कर्ता-धर्ताओ के पास, जिसके बदले ली जाती थी मोटी रिश्वत की राशि!!!

उदयपुर के पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर भी डाले सीबीआई ने छापे, भारी मात्रा मे दस्तावेज़ जब्त!!!

पेसेफिक के मुख्य कर्ता-धर्ताओ पर लटक रही सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

एमसीआई की रिपोर्ट पर पहुंची टीम, प्रिंसिपल व कंट्रोलर से 3 घंटे पूछताछ

उदयपुर के दो मेडिकल कॉलेजों में सीबीआई छापे, देर रात तक सर्च

उदयपुर | उमरड़ा स्थित पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) और भीलों का बेदला स्थित पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) में मंगलवार को सीबीआई ने छापा मारा। दोपहर 1 बजे शुरू हुई कार्यवाही देर रात तक जारी रही। दिल्ली व जोधपुर की 2 टीमें मेडिकल बैच और प्रबंधन से जुड़े सारे दस्तावेज खंगाल रही हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल और कंट्रोलर से 3 घंटे तक लंबी पूछताछ भी की गई। फैकल्टी और सीट के अनुपात के साथ संसाधन, चिकित्सा उपकरण की जानकारी भी परखी जा रही है। पीआईएमएस उमरड़ा के प्रबंधक ने बताया कि सर्वे के दौरान जो भी दस्तावेज मांगे गए, तत्काल उपलब्ध करवाए। इंस्टीट्यूट में कोई अनियमितता नहीं है। दरअसल, यह कार्यवाही 2017-18 में मेडिकल सीटों पर हुए एडमिशन से जुड़ी है। बता दें कि गत 23 फरवरी को एमसीआई ने कॉलेजों का निरीक्षण किया था। उसी के इनपुट पर सीबीआई पहुंची।

CBI action on PIMS over irregularities

Ravi Sharma

Udaipur: CBI seems in action against Pacific Institute of Medical Sciences (PIMS) on Tuesday and interrogated the Principal, Examination Controller for five hours regarding the irregularities in giving admissions on medical seats.

Two CBI teams from Jodhpur and New Delhi carry out the investigations at PIMS Hospital and College and seized some documents related to the admissions after the interrogations. Few days back IPD and OPD records didn't matched.

दैनिक भास्कर और फ़र्स्ट इंडिया न्यूज मे प्रकाशित खबरों से साभार

02/03/2022 को सीबीआई ने दर्ज की एफ़आईआर,एफ़आईआर के अनुसार एमसीआई और डीसीआई के कर्मचारी, एमसीआई द्वारा किए जाने निरीक्षणों और अन्य संवेदनशील जानकारियाँ पहुंचाते थे पेसेफिक के कर्ता-धर्ताओ के पास!!!

सीबीआई को मिली विश्वस्त जानकारी के आधार पर,सीबीआई द्वारा वर्ष 2020 मे संदीप कुमार;तत्कालीन एमसीआई की मॉनिटरिंग सेक्शन मे बाबू,खेजार अब्बास;डीसीआई मे बाबू,शरद कोठारी; पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रजिस्ट्रार के विरुद्ध प्रारम्भिक मामला दर्ज कर जांच शुरू की|

सीबीआई को जानकारी मिली थी कि यह तीनों व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर,पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेनेजमेंट कोटे मे हुई अनियमितताओं के मामलो को रफा-दफा करवाने और एमसीआई द्वारा मेडिकल कॉलेजो के किए जाने वाले निरीक्षणों की खबर और अन्य महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियाँ लीक करने के मामले मे लिप्त है|अपनी एफ़आईआर मे सीबीआई द्वारा जावेद खान;तत्कालीन सहायक प्रोग्रामर एमसीआई,सचिन गुप्ता,सुशील कुमार और उसके नजदीकी रिश्तेदार बाल गोविंद को भी नामजद किया है|

सीबीआई की एफ़आईआर के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2016-17 मे पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा 36 अतिरिक्त मेनेजमेंट सीटो और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेनेजमेंट की 60 अतिरिक्त मेनेजमेंट सीटो पर मोटा डोनेशन लेकर दाखिला दे दिया गया था|जिसकी जांच एमसीआई द्वारा लगातार की जा रही थी|इसी जांच को रफा-दफा करवाने का

वर्ष 2016-17 मे पेसेफिक के दो कॉलेजो की 96 मेनेजमेंट कोटे की सीटो की बंदरबाँट मे हुए 100 करोड़ के घोटाले से जुड़े हुए है तार!!!

सीबीआई की एफ़आईआर के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2016-17 मे पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा 36 अतिरिक्त मेनेजमेंट सीटो और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेनेजमेंट की 60 अतिरिक्त मेनेजमेंट सीटो पर मोटा डोनेशन लेकर दाखिला दे दिया गया था|जिसकी जांच एमसीआई द्वारा की जा रही थी|कॉलेज प्रशासन इसी मामले को रफा दफा करवाने की फिराक मे थे|

सूत्रो के अनुसार इन दोनों कॉलेजो की 96 अतिरिक्त सीटो पर करीब 100 करोड़ का डोनेशन मेनेजमेंट कोटे के तहत लिया गया था,जिसमे से अधिकतर काले धन के रूप मे आदान प्रदान किया गया था|ऐसे मे यदि इस मामले की गहनता से जांच की जाए तो एक बड़े मामले का खुलासा हो सकता है|

खेल इन सभी नामजद मुल्जिमों द्वारा किया जा रहा था|एमसीआई द्वारा समय समय पर देशभर मे फैले मेडिकल कॉलेजो की जांच की जाती रही है,जिनमे अनियमितताए पाये जाने पर संबन्धित मेडिकल कॉलेजो मे दाखिले पर एमसीआई और भारत सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी जाती है,ऐसे ही निरीक्षणों की जानकारियाँ एमसीआई और डीसीआई के कर्मचारियों द्वारा पहले से ही पेसेफिक समूह के कर्ता-धर्ताओ को लीक कर दी जाती थी,जिसके बदले इन दोनों कॉलेजो के कर्ता -धर्ताओ द्वारा एक मोटी रकम संबन्धित कर्मचारियों की ज़ेबो मे पहुचा दी जाती थी|

THE HINDU (03.03.2022)

NATIONAL

CBI books university registrar, MCI and DCI clerks on graft charge

Devesh K Pandey

NEW DELHI MARCH 03, 2022 02:54 IST
UPDATED: MARCH 03, 2022 02:54 IST

दी हिन्दू मे प्रकाशित खबर से साभार

The accused also conspired to share sensitive information regarding inspection dates

The Central Bureau of Investigation (CBI) has booked some employees of the erstwhile Medical Council of India (MCI) and the Dental Council of India (DCI), apart from the registrar of Udaipur-based Pacific University, for allegedly leaking information related to the inspections of its two medical colleges.

Based on inputs, the agency had instituted a preliminary enquiry in 2020 against Sandeep Kumar, then a clerk in the MCI's monitoring section; DCI clerk Khizar Abbas; and Sharad Kothari, registrar of the Pacific Institute of Medical Sciences and the Pacific Medical College and Hospital.

The enquiry pertained to the clearing of management quota seats of both the medical colleges from the MCI's monitoring section and the alleged leak of sensitive information with respect to inspection dates for the colleges. In the FIR, the CBI has also named Javed Khan, the then assistant programmer with the MCI; Sachin Gupta, Sushil Kumar and his relative Bal Govind.

The agency found that the accused persons had entered into a conspiracy in connection with the clearing of management quota seats, which were admitted in excess in the Pacific Medical College and Hospital (36 seats) and the Pacific Institute of Medical Sciences (60 seats) in 2016-17, said the First Information Report (FIR).

One Santosh Kumar (since dead), who also worked with the MCI, had contacted Sandeep in this regard. According to the agency, he was also in regular touch with the registrar and would talk to him on phone via Sachin, who also collected bribes on Santosh's behalf, as alleged.

The accused persons also conspired to share sensitive information with respect to the inspection dates of the medical colleges with the registrar. Khizar used to get such information about various medical colleges from Javed, who had access to the MCI database server. The information used to be passed on to Santosh Kumar and Sushil Kumar, the FIR said.

The CBI alleged that Santosh had got ₹5 lakh in bribe from the registrar through the former's friend, Sushil Kumar. He also received about ₹2.94 lakh in the bank account during 2016-17. Khizar was given ₹3 lakh.

इस पूरे मामले मे जावेद और खेजार अब्बास एमसीआई के डाटाबेस से इन्फोर्मेशन चुराकर संतोष कुमार और सुशील कुमार को देते थे|एमसीआई का कर्मचारी संतोष कुमार(जिसकी मृत्यु हो चुकी है)और संदीप कॉलेज के रजिस्ट्रार शरद कोठारी के संपर्क मे रहते थे|

Mr. B.R.Agrawal

Mr. B.R.Agrawal is Founder Chairman of promoting body of the Sai Tirupati University that is Global Health Research and Management , he has long experience of 47 yrs in business and education, The positions held in the sponsoring body of more than a dozen institutes few of them are as under: Chairperson Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur. Chairman of Tirupati Balaji Educational trust.

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार

Mrs. Leela Devi Agrawal

Mrs. Leela Devi Agrawal She is executive member of promoting body of the Sai Tirupati University that is Global Health Research and Management and also associated with various academic institutions.

Mr. Ashish Agrawal

Mr. Ashish Agrawal is the Chairperson of Sai Tirupati University and secretary and vice chairman of promoting body of the Sai Tirupati University that is Global Health Research and Management. After completing graduation he has joined his father in both business and academic activities.

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार

Mrs. Sheetal Agrawal

Mrs. Sheetal Agrawal She is actively indulging in controlling and managing the healthcare and academic activities performed in the organization.

साई तिरुपति यूनिवर्सिटी का प्रबंधन

Mr. B.R.Agrawal

Mr. B.R.Agrawal is chairperson of Tirupati Balaji Educational Trust. He is 64 year of age and has long experience of 45 years in business & education. The positions held in the sponsoring body of more than a dozen institutes are as under: Chairperson (From 2010 to till date) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur.

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार

Mr.Rahul Agrawal

The true mission of the greatest universities of the world is to better human conditions through improving the quality of life. We also believe in that and are already regarded as an university with an extraordinary foundation of academic excellence and global impact. We have enormous potential to build on these strengths and rise to even greater heights of distinction, scholarship and service. But to realize this aspiration, we must chart a new course of action, an equally transFormative vision to guide our actions and define our future. The new century offeres a new beginning. In the face of new challenges and a fresh opportunities, let us work for greater accomplishments with our single-minded determination and unremitting efforts

Smt.Preeti Agrawal

Smt.Preeti Agrawal is wife of Shri Rahul Agrawal. She is associated various academic institutions headed by Shri B.R.Agrawal & actively participate in day to day activity of the institution & also involved in the business activity of Shri Rahul Agrawal.

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार

Mr. Aman Agrawal

Mr. Aman Agrawal is son of Shri Rahul Agrawal. He is associated various academic institutions headed by Shri B.R.Agrawal & actively participate in day to day activity of the institution & also involved in the business activity of Shri Rahul Agrawal.

पेसेफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रबंधन

भोला राम अग्रवाल,राहुल अग्रवाल,प्रीति अग्रवाल और अमन अग्रवाल के पास है|

पेसेफिक के कर्ता-धर्ताओ पर भी गिरफ्तारी की तलवार

सूत्रो के अनुसार सीबीआई द्वारा पेसेफिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शरद कोठारी को नामजद किया गया है लेकिन इसके साथ ही ग्रुप के अन्य कर्ता-धर्ताओ भोला राम अग्रवाल,राहुल अग्रवाल,आशीष अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है|क्यूंकी ऐसा कतई संभव नहीं है कि ग्रुप का रजिस्ट्रार बिना अपने सेठो से पूछे यह सारा गड़बड़झाला कर रहा हो|

भोला राम अग्रवाल और उनका परिवार है इन दोनों मेडिकल कॉलेजो और सबद्ध यूनिवर्सिटीयो के कर्ता-धर्ता

आपको बता दें कि वर्तमान मे पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,उमरडा,उदयपुर का संचालन साई तिरुपति यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है,जिसका प्रबंधन भोलाराम अग्रवाल,लीला देवी अग्रवाल,आशीष अग्रवाल और शीतल अग्रवाल के पास है|

वहीं पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,भीलों का बेदला,उदयपुर का संचालन पेसेफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है,जिसका प्रबंधन

क्या है मेनेजमेंट कोटे की सीटो का काला सच

मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (यानी, एमबीबीएस) में दखिले के समय बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली रोकने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया जा रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेजों में यह प्रक्रिया लागू थी मगर निजी कॉलेजों और राज्य सरकारों की अनिच्छा के चलते इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा पा रहा था।

इससे पहले यह परीक्षा 'एआईपीएमटी' (ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट) कहलाती थी। यह परीक्षा देशभर में एक साथ होती थी। इस परीक्षा में आए अंकों के आधार पर ही छात्रों को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल संस्थानों में प्रवेश दिया जाता था। लेकिन सरकार ने पारदर्शिता, मेडिकल शिक्षा में उच्च मानक स्थापित करने और छात्रों को कई परीक्षाओं के बोझ से बचाने के लिए देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक परीक्षा आयोजित कराने का फैसला लिया। नीट प्रवेश परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानि सीबीएसई द्वारा किया जाता है।

छिपी बात नहीं है कि चिकित्सा संस्थानों में दाखिले के लिए होड़ लगी रहती है। चूंकि चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के बाद रोजगार की उस तरह समस्या नहीं रहती जैसे दूसरे तकनीकी पाठ्यक्रमों के बाद रहती है। इसलिए पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कुछ अधिक भीड़ रहती है। चूंकि निजी संस्थानों में मैनेजमेंट कोटे का प्रावधान है और दाखिले के लिए कॉलेज खुद शर्तें तय करते हैं, इसलिए वहां ज्यादातर सीटों पर पैसे वाले लोगों के बच्चे काबिज हो जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में मुंहमांगी रकम देने वालों की कतार लगी रहती है। जाहिर है, मैनेजमेंट के लिए कॉलेज चलाना कमाई का बड़ा धंधा बन चुका है। मगर दाखिले में पारदर्शिता और व्यावहारिक व्यवस्था न होने के चलते बहुत सारे मेधावी विद्यार्थियों को दाखिले से वंचित होना पड़ता है।

वर्तमान मे भारत में चिकित्सा-स्नातक के पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस , बीडीएस आदि) में प्रवेश पाने के लिये एक अर्हक परीक्षा (qualifying entrance examination) होती है जिसका नाम राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) है।भारतीय चिकित्सा परिषद (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) और भारतीय दन्त परिषद (डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया) की मंजूरी से देश भर में चल रहे मेडिकल और डेंटल कॉलेजों (सरकारी या निजी) के एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर होता है|

भारतीय नागरिकों के अलावा इस परीक्षा को एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और विदेशी नागरिक भी दे सकते हैं। ये सभी 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटे के लिए योग्य होंगे। नीट के आधार पर ही राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी कोटे पर दाखिला होता है।

जवाब मांगते सवाल?

1. शैक्षणिक सत्र 2016-17 मे पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,उमरडा,उदयपुर द्वारा 36 अतिरिक्त मेनेजमेंट सीटो और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,भीलों का बेदला,उदयपुर के मेनेजमेंट की 60 अतिरिक्त मेनेजमेंट सीटो, कुल 96 सीटो पर किन किन छात्रो को एडमिशन दिये गए थे?

2. इन अतिरिक्त 96 मेनेजमेंट सीटो पर एडमिशन देने के लिए कितना डोनेशन लिया गया था?लिए गए डोनेशन मे कितना काला था और कितना सफ़ेद?डोनेशन मे ली जाने वाली राशि का हिसाब-किताब कौन रखता था?

3. क्या इन्कम टेक्स विभाग को इन अतिरिक्त 96 मेनेजमेंट कोटे पर हुए दाखिलो की जानकारी है?क्या आयकर विभाग और प्रवर्तन विभाग को डोनेशन मे लिए गए काले धन को Money Laundering कानून के तहत मानकर व्यापक जांच नहीं करनी चाहिए?

4. पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा कब से शैक्षणिक सत्रो का संचालन किया जा रहा है?

REGISTRAR

सीबीआई द्वारा नामजद, पेसेफिक का रजिस्ट्रार

Sharad Kothari

5. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के अलावा पेसेफिक समूह के दोनों कॉलेजो द्वारा कितने सत्रो मे अतिरिक्त मेनेजमेंट कोटे पर दाखिले दिये गए है?

6. एमसीआई द्वारा अब तक कितनी बार इन दोनों कॉलेजो का निरीक्षण किया गया है और कितनी बार इन दोनों कॉलेजो मे गंभीर अनियमितताए पायी गयी है?

7. एमसीआई और भारत सरकार द्वारा कब-कब पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मे हो रही अनियमितताओं के चलते इन दोनों कॉलेजो मे दाखिले पर रोक लगाई गयी है?

8. शैक्षणिक सत्र 2017-18 मे जब एमसीआई द्वारा पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस समेत राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेजो को निरीक्षण के दौरान दाखिले पर रोक लगा दी गयी थी तब किसने इस मामले मे अयोग्य मेडिकल कॉलेजो की पैरवी की थी?

9. क्या पेसेफिक समूह के कॉलेजो मे मेनेजमेंट कोटे मे मोटा डोनेशन लेकर काबिल विद्यार्थियों की सीटो पर अपने चहेतों और नाकाबिल विद्यार्थियों को एडमिशन दिया गया था?

10. मेडिकल कॉलेजो मे तय मेनेजमेंट कोटे की सीटो पर दाखिले के क्या मापदंड है?

11. क्या एमसीआई और डीसीआई के बाबुओ की इतनी हिम्मत है कि वह करोड़ो की मेनेजमेंट सीटो के मामले को रफा-दफा कर सके?इस खेल मे और कितने बड़े अधिकारी और नेता शामिल है?

12. क्या मात्र एक रजिस्ट्रार मे इतना साहस है कि वह बिना मेनेजमेंट को बताए इस पूरे खेल का संचालन कर सकता है?

13. क्या सीबीआई के राडार पर पेसेफिक समूह के संचालक "भोलाराम एंड संस" भी है?क्या इस मामले मे सीबीआई द्वारा भविष्य मे गिरफ्तारियाँ की जाएगी?

14. आखिर क्यूँ पेसेफिक समूह के संचालक इस मामले मे कोई बयान देने/मीडिया से जानकारी साझा करने से कतरा रहे है?आखिर क्यूँ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नामजद करने की जानकारी मीडिया से छुपाई गयी?

15. क्या पेसेफिक समूह के संचालको को सीबीआई द्वारा की गयी कार्यवाही की भनक पहले से ही लग गयी थी?

16. अपने चहेतों को मेडिकल सीट देने के लिए इन दोनों कॉलेजो द्वारा और क्या हथकंडे अपनाए जाते है?

17. साई तिरुपति यूनिवर्सिटी से सबद्ध होने से पहले पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,उमरडा,उदयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ एंड साइंस से सबद्ध था,उस समय राज्य सरकार को इस कॉलेज के विरुद्ध कितनी शिकायते प्राप्त हुई थी?

18. पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,उमरडा,उदयपुर और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,भीलों का बेदला,उदयपुर के विरुद्ध कितनी जाँचे/शिकायते/वाद, राज्य सरकार/भारत सरकार और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विचारधीन है?

19. इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद क्या नेशनल मेडिकल कमीशन(पूर्ववर्ती मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया)इन दोनों मेडिकल कॉलेजो की मिलीभगत की गंभीरता से जांच करते हुए,इनकी सबद्धता निरस्त करेगा?

पाठको से अनुरोध

इस आलेख को पढ़ने वाले सभी पाठको से अनुरोध है कि यदि उन्हे मेडिकल कॉलेजो मे होने वाली धांधलियों/अनियमितताओ/भ्रष्टाचार/मिलीभगत की जानकारी है तो समस्त जानकारियाँ हमसे सांझा करे|हमारे द्वारा उनकी सूचना गुप्त रखी जाएगी व ऐसे मामलो को अगले आलेखो मे शामिल किया जाएगा साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को समस्त मामलो से अवगत करवाया जाएगा|कृपया इस आलेख को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें|

20. भोलाराम एंड संस द्वारा चलायी जा रही साई तिरुपति यूनिवर्सिटी,पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी और पेसेफिक यूनिवर्सिटी के पीछे की क्या कहानी है?

21. यदि जांच एजेंसियो द्वारा गहनता से जांच की जाए तो क्या राजस्थान मे भी कोई व्यापम घोटाले जैसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आएगा?

22. राजस्थान के और कितने मेडिकल कॉलेज अपने कॉलेजो की मेनेजमेंट सीटो की बंदरबाँट मे शामिल है?

23. एमसीआई और डीसीआई के कर्मचारी और कितने मेडिकल कॉलेजो को एमसीआई की निरीक्षण संबंधी और अन्य संवेदनशील जानकारियाँ उपलब्ध करवाते थे?

मेडिकल माफियाओ से जुड़े खुलासे अगले अंको मे जारी.....